

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- श्री जगदीश प्रसाद बैरवा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-123/2015 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 54-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1-श्री राकेश पिता शोभाराम लड़ा, उम्र बालिग निवासी डी-93, बसन्त बिहार भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-श्री कृष्ण गोपाल पिता शोभाराम लड़ा, उम्र बालिग, निवासी डी-93 बसन्त बिहार, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----वादीगण

बनाम

1-श्री सुरेश पिता नानू गाडरी, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

2-राजूड़ी, सीमा बा. सोनू नाबालिग पुत्री नानू व बबिलायत माता भूरी बेवा नानू गाडरी, साकिन भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3-श्रीमति भूरी देवी बेवा नानू गाडरी, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा

4-बदाम बाई पत्नि बलदेव भाम्बी, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

5-बलदेव पिता नोला भाम्बी, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

6-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

-----प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री

-

एडवोकेट और प्रतिवादीगण

संख्या 1 से 5 की ओर से श्री

-

एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज

दिनांक 25.6.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया

जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत

रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से

ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादीगण का वाद पत्र

स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के इस आशय

की जारी की जाती है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में

स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम

राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि वादीगण एवं

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1-श्री राकेश पिता शोभाराम लड़ा, उम्र बालिग, श्री कृष्ण गोपाल पिता शोभाराम लड़ा, उम्र

बालिग, निवासीयान डी-93 बसन्त बिहार, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वादीगण के नाम निम्न भूमि हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।



आराजी नम्बर	रकबा	लगान
3442/2	1 बीघा 13.07 बिस्वा	-
कुल किता 1	रकबा 1 बीघा 13.07 बिस्वा	लगान -

2-श्री सुरेश पिता नानू गाडरी, उम्र बालिग, राजूड़ी, सीमा बा. सोनू नाबालिग पुत्री नानू व बबिलायत माता भूरी बेवा नानू गाडरी, निवासीयान भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी सं0 1 से 3 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
3442/1	1 बीघा 13.07 बिस्वा	-
कुल किता 1	रकबा 1 बीघा 13.07 बिस्वा	लगान -

3-बदाम बाई पत्नि बलदेव भाम्बी, उम्र बालिग, बलदेव पिता नोला भाम्बी, उम्र बालिग निवासीयान भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम निम्न भूमि हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
3442/3	1 बीघा 13.06 बिस्वा	-
कुल किता 1	रकबा 1 बीघा 13.06 बिस्वा	लगान -

4-वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम निम्न भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
3442/4	- 07 बिस्वा	-
कुल किता 1	रकबा - 07 बिस्वा	लगान -

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में हक व हिस्से अनुसार दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(जगदीश प्रसाद बैरवा)
आर.ए.एस.

जगदीश प्रसाद बैरवा,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 25.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से

जारी की गयी ।

जगदीश प्रसाद बैरवा,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा